सोशल मीडिया सेल आजमगढ़

पत्र सं0- 202/2021 दिनांक- 22 अप्रैल 2021

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना-निजामाबाद

नाबालिग किशोरी से छेड़छाड़ करने वाला गिरफ्तार

दिनांक 20.04.21 को श्री लालचन्द पुत्र नगई थाना निजामाबाद आजमगढ़ समय करीब 23.30 बजे वादी की नाबालिग 15 वर्षीय नतीनी के साथ छेड़छाड़ के संबंध में अरविन्द पुत्र श्यामलाल साकिन क्यामुद्दीनपट्टी उर्फ परसहां थाना निजामाबाद आजमगढ़ द्वारा छेड़खानी के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ श्री सुधीर कुमार सिंह द्वारा उक्त मुकदमें में नामजद आरोपी की त्वरित गिरफ्तारी हेतु आदेशित किया गया आदेश के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी सदर के के कुशल निर्देशन में व प्रभारी निरीक्षक निजामाबाद श्री शिवशंकर सिंह के कुशल नेतृत्व में दिनांक- 21.04.2021 उ0नि0 पवन कुमार शुक्ला मय हमराहीयान के देखभाल क्षेत्र में मामूर थे कि जरिये मुखबिर खास सूचना प्राप्त हुई कि मुकदमा उपरोक्त में नामजद आरोपी अपने घर पर मौजूद है मुखबिर खास की सूचना पर विश्वास कर उ 0नि0 मय हमराहीयान के उसके घर पर दबिश देकर आरोपी को पकड़ लिया गया। जिससे नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम 1.अरविन्द पुत्र श्यामलाल साकिन क्यामुद्दीनपट्टी उर्फ परसहां थाना निजामाबाद आजमगढ़ बताया कारण गिरफ्तारी बताते हुए अभियुक्त उपरोक्त को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय चालान किया गया।

पूछताछ विवरण- पीड़िता द्वारा लगाये गये आरोप के सम्बन्ध मे आरोपी से पूछताछ किया गया तो अपना जूर्म कबूल कर रहा है।

पंजीकृत अभियोग –

1- मु0अ0सं0- 89/21 धारा 354(ख) भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट थाना निजामाबाद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त-

1- अरविन्द पुत्र श्यामलाल साकिन क्यामुद्दीनपट्टी उर्फ परसहां थाना निजामाबाद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ0नि0 पवन कुमार शुक्ला थाना निजामाबाद आजमगढ़ मय हमराहीयान, आजमगढ़।

थाना कोतवाली

एक वांछित गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ श्री सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाये जा रहे अभियान अपराध नियंत्रण, अपराधियो की गिरफ्तारी के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर श्री पंकज कुमार पाण्डेय तथा क्षेत्राधिकारी नगर सुश्री निष्ठा उपाध्याय के कुशल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कृष्ण कुमार गुप्ता के नेतृत्व में थाना कोतवाली पर अलग –अलग टीम गठित कर अपराध/ अपराधियो की धर पकड़ करने हेतुमें उपद्रव फैलाने वालो की गिरफ्तारी हेतु भ्रमणशील रहकर सन्दिग्ध व्यक्ति / वाहनों की चेकिंग की जा रही थी जिसके क्रम में –

उ0नि0 ज्ञानचन्द्र शुक्ला मय हमराह का0 अवधनरायन चौकी सिविल लाइन से प्रस्थान कर मु0अ0सं0 73/21 धारा 406/420 भादवि की विवेचना मे मामूर थे कि मुखबीर खास द्वारा सूचना मिली किउक्त मुकदमा का वाछिंत अभियुक्त रामसेवक अग्रसेन तिराहे के पास मौजूद है। इस पर विश्वास कर मौजूद पर पहुँचा गया तो वांछित अभियुक्त अग्रसेन तिराहे के पास कही जाने के फिराक मे है। समय करीब 12.30 बजे अभियुक्त उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया नाम पता पूछा गया तो नाम पता रामसेवक पुत्र टिहुलराम नि0- रविदासनगर थाना- मेहनगर जिला- आमजगढ बताया कि कारण गिरफ्तारी बताकर हिरासत पुलिस मे लिया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग का विवरण—

1- मु0अ0सं0 76/21 धारा- 406/420 भादवि**थाना कोतवाली आजमगढ़**

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण –

1- रामसेवक पुत्र टिहुलराम नि0- रविदासनगर थाना- मेहनगर जिला- आमजगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1- उ0नि0 श्री ज्ञानचन्द्र शुक्ला मय हमराह, थाना कोतवाली , आजमगढ़।

थाना जहानागंज

पुलिस पार्टी पर हमला कर, फरार अभियुक्तों में से दो गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ श्री सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाये जा रहे है वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु अभियान के तहत दिनांक- 22.04.2021 को प्रभारी निरीक्षक जहानागंज मय हमराह द्वारा देखभाल क्षेत्र व शान्ति व्यवस्था डियूटी ग्राम कोईलारी से वापस आकर धारा 144 सीआरपीसी का उल्लघन कर व लाठी डण्डा ईट पत्थर व असलहा से लैस होकर पुलिस पार्टी को कार्य सरकार मे बाधा डालना गाली गुप्ता देते हुए ईंट पत्थर व लाठी डण्डा से मारना पीटना व अपने असलहे से पुलिस पार्टी पर जान से मारने कि नियत से फायर करना व मौके पर अफरा तफरी व आतंक का माहौल पैदा करना व जान से मारने की धमकी देते हुए रात्रि का फायदा उठाकर भाग जाना व मौके पर खडी गाडियो को क्षतिग्रस्त करने के सम्बन्ध मे पंजीकृत अभियोग से सम्बन्धित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में वाछिंत अभियुक्त 1.कैलाश राजभर पुत्र चन्द्रदेव राजभर ग्राम उम्मरपुर कोईलारी थाना जहानागंज आजमगढ 2- दीपक राजभर उर्फ विजय राजभर पुत्र गोपाल राजभर ग्राम उम्मरपुर कोईलारी थाना जहानागंज आजमगढको समय करीब 12.30 बजे कोइलारी मोङ से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पुछताछ विवरण-1 -कैलाश राजभर पुत्र चन्द्रदेव राजभर ग्राम उम्मरपुर कोईलारी थाना जहानागंज आजमगढ उम्र वर्ष 59 20 बदरियाफ्त जुर्म इकबाल कर बता रहा है कि साहब दिनांक.4. मेरे पक्ष के पंचम राजभर पुत्र सुखारी राजभर ग्राम कोइलारी 2021 थाना जहानागंज आजमगढ व उनके परिवार एंव अन्य लोगो को दुसरे पक्ष के रामाश्रय राजभर पुत्र श्यामकेर राजभर ग्राम उमरपुर कोइलारी थाना जहानागंज आजमगढ व उनके समर्थक द्वारा पंचम राजभर के दरवाजे पर आकर मारपीट तोङफोड़ की जाने लगी तो मै भी पंचम राजभर की तरफ से दौङकर गया और पंचम राजभर की तरफ से अपने लाठी से मारपीट कर रहा था इसी बीच थाने की पुलिस पहुच गयी तो मै तथा मेरे पक्ष के अन्य लोग व दुसरे पक्ष के लोग समझे कि पुलिस हमलोगो को गिरफ्तार करेगी इसलिए मै तथा मेरे पक्ष व दुसरे पक्ष के लोग गिरफ्तारी से बचने के लिए पुलिस पार्टी पर अपने अपने हाथ मे लिए हुए लाठी डण्डा व ईट पत्थर- से हमला बोल दिये तथा जो लोग असलहा लिए थे पुलिस को जान से मारने की नियत से फायर करने लगे कि पुलिस जब घायल हो जायेगी तो हमलोगो को पकङ नही पायेगी जब काफी पुलिस आ गयी तो मै तथा मेरे पक्ष के अन्य लोग एंव दुसरे पक्ष के लोग गिरफ्तारी के भय से रात्रि का भायदा उठाकर भाग गये। यह पुछने पर कि असलहा किसके पास था तो बताया कि साहब भीङ ज्यादा थी इसलिए किसके पास असलहा था यह मुझे मालुम नही है साहब भविष्य मे दुबारा गलती नही करुगा। इसबार क्षमा कर दिजिए।

पुछताछ विवरण -2-दीपक राजभर उर्फ विजय राजभर पुत्र गोपाल राजभर ग्राम उम्मरपुर कोईलारी थाना जहानागंज आजमगढ उम्र वर्ष बदरियाफ्त जुर्म इकबा 23ल कर बता रहा है कि साहब दिनांक 20.4. मेरे पक्ष के रामाश्रय राजभर पुत्र 2021 श्यामकेर राजभर ग्राम कोइलारी थाना जहानागंज आजमगढ व उनके परिवार एंव अन्य लोगो को दुसरे पक्ष के पंचम राजभर पुत्र सुखारी राजभर ग्राम उमरपुर कोइलारी थाना जहानागंज आजमगढ व उनके समर्थक द्वारा आकर मारपीट तोङफोड़ की जाने लगी तो मै भी रामाश्रय राजभर की तरफ से दौङकर गया और रामाश्रय राजभर की तरफ से अपने लाठी से मारपीट कर रहा था इसी बीच थाने की पुलिस पहुच गयी तो मै तथा मेरे पक्ष के अन्य लोग व दुसरे पक्ष के लोग समझे कि पुलिस हमलोगो को गिरफ्तार करेगी इसलिए मै तथा मेरे पक्ष व दुसरे पक्ष के लोग गिरफ्तारी से बचने के लिए पुलिस पार्टी पर अपने अपने हाथ मे लिए हुए लाठी डण्डा व- ईट पत्थर से हमला बोल दिये तथा जो लोग असलहा लिए थे पुलिस को जान से मारने की नियत से फायर करने लगे कि पुलिस जब घायल हो जायेगी तो हमलोगो को पकङ नही पायेगी जब काफी पुलिस आ गयी तो मै तथा मेरे पक्ष के अन्य लोग एंव दुसरे पक्ष के लोग गिरफ्तारी के भय से रात्रि का भायदा उठाकर भाग गये यह पुछने पर कि असलहा किसके पास था तो बताया कि साहब भीङ ज्यादा थी इसलिए किसके पास असलहा था यह मुझे मालुम नही है। साहब भविष्य मे दुबारा गलती नही करुगा। इसबार क्षमा कर दिजिए।

पंजीकृत अभियोगः-

1- मु0अ0स0 93/21 धारा 147.148.149.323.504.506.332. 353.336 .307.188.427 भादवि व7 सीएलए एक्ट

गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.कैलाश राजभर पुत्र चन्द्रदेव राजभर ग्राम उम्मरपुर कोईलारी थाना जहानागंज आजमगढ

2- दीपक राजभर उर्फ विजय राजभर पुत्र गोपाल राजभर ग्राम उम्मरपुर कोईलारी थाना जहानागंज आजमगढ

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरणः-

1-उ0नि0 बाके बहादुर थाना जहानागंज आजमगढ

2- हे0का0 सरोज पाण्डेय थाना जहानागंज आजमगढ

3- हे0का0 लक्ष्मण यादव थाना जहानागंज आजमगढ

नोट-जनपद आजमगढ़ के समस्त थाना द्वारा शान्ति व्यवस्था हेतु कुल 43 व्यक्तियों के विरूद्ध 151 सीआरपीसी की कार्यवाही की गयी है।